संघ लोक सेवा आयोग

सन्दर्भ सं. 2/85/2015- भ.नि.

विषय: भारत सरकार में ग्रुप 'क' तथा 'ख' पदों के सार संग्रह जिनके संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भर्ती नियम बनाए / संशोधित किए जाते हैं ।

1. आयोग के साथ परामर्श

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.12.2010 के का. ज्ञा. सं. ए बी 14017/48/ 2010 स्था.(भ.नि.) के अनुसार भारत सरकार, संघ शासित क्षेत्र तथा कतिपय स्वायत्त संगठनों जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम आदि के अंतर्गत किसी भी ग्रुप 'क' तथा 'ख' पदों के लिए भर्ती नियम बनाने तथा बाद में उनमें संशोधन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ अनिवार्य रूप से परामर्श किया जाना अपेक्षित है ।

इस प्रकार 4200/- रू. तथा इससे ऊपर के ग्रेड वेतन वाले पदों को भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग के साथ अनिवार्य रूप से परामर्श लेने की श्रेणी में रखा गया है ।

भर्ती नियमों की नियमित समीक्षा का महत्व

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देश यह निर्धारित तथा प्रस्तावित भी करते हैं कि किसी पद के लिए भर्ती नियमों की प्रत्येक 5 वर्ष में समीक्षा की जानी चाहिए । भर्ती नियमों की समीक्षा संगठन तथा संवर्ग के सदस्यों के लिए निम्नलिखित लाभ सुनिश्चित करती है ।

(i) यह संगठन के लिए समग्र मानव संसाधन नीति के लिए अद्यतन ढांचा प्रदान करने में सहायता करती है ।

(ii) भर्ती की आंतरिक तथा बाह्य पद्धतियों के संबंध में सुझाव देकर अपेक्षित संतुलन बनाती है।

(iii) यह उन अपेक्षित पहलुओं को निर्दिष्ट करती है जिनमें किसी पद के लिए भर्ती को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित मंत्रालय को आयोग का परामर्श लेना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है ।

(iv) यह किसी संगठन/संवर्ग के अनुक्रमण की योजना तैयार करने में सहायता करती हैं जिससे कि पदधारकों की अनुपलब्धता के कारण स्वीकृत पद रिक्त न रह सकें ।

(v) यह भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा ईमानदारी बनाए रखने में सहायक है ।

(vi) यह विभिन्न संगठनों में समान पदों / समान प्रकार के कार्य विवरण वाले पदों के लिए उनसे संबंधित अभिलेखबद्ध जानकारियां उपलब्ध कराने के बाद कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा सुझाए गए मॉडल भर्ती नियमों के आधार पर भर्ती नियमों के मानकीकरण में सहायता करती है ।

(vii) यह विभिन्न पदों / सेवाओं के लिए भर्ती की प्रक्रिया में स्व-निर्णय के उन्मूलन के लिए मॉडल/ मानकीकरण सूचनाओं को सूत्रबद्ध करने में सहायता प्रदान करती है ।

(viii) यह बेहतर संवर्ग प्रबंधन की व्यवस्था करने में सहायक है और इस प्रकार संवर्ग / संगठनों के सदस्यों को मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार पदोन्नति / प्रशिक्षण / अन्य लाभ प्राप्त करने के योग्य बनाती है ।

(ix) भर्ती की प्रक्रिया में निष्फल मामलों को कम करने में सहायता करती है ।

(x) ये विभिन्न विश्वविद्यालयों / संस्थानों में चलाए जा रही शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में परिस्थितिगत जानकारी के आधार पर अनिवार्य तथा वांछनीय योग्यताओं के बीच सही सुंतलन बनाए रखने में सहायता करती है ।

(xi) यह भर्ती प्रक्रिया में लगने वाली संवीक्षा अवधि में कटौती करने में सहायता करता है चूंकि इस प्रकार से संदर्भित भर्ती नियमों में ऐसा कोई खंड शामिल नहीं होता है जिसकी व्याख्या करना या समझना मुश्किल हो ।

(xii) यह किसी पद विशेष के लिए आवेदकों की संख्या में वृद्धि में सहायक होता है क्योंकि पद से संबंद्ध कार्यों का विवरण उस पद के साथ सम्बद्ध योग्यताओं के अनुरूप दिया जाता है।

(xiii) यह न्यायिक संवीक्षा की प्रक्रिया की अवधि को कम करने में सहायक है जो सामान्यत: तब करनी पड़ती है जब इन नियमों की आवधिक समीक्षा नहीं की जाती है ।

(xiv) यह विभिन्न पदोन्नति तथा पुष्टि समितियों के सही गठन को परिभाषित करने में सहायक है क्योंकि इसका उल्लेख भर्ती नियमों की अनुसूची में किया जाता है ।

(xv) यह सरकार में समान सेवाओं / संगठनों के साथ-साथ भावी संवर्ग प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है।

(xvi) यह प्रक्रिया में शामिल भागीदारों द्वारा डाटाबेस सृजित करने तथा सकारात्मक परामर्श में सहायता करता है ।

(xvii) यह 'समकक्ष' जैसे शब्दों जिनका उल्लेख पुराने भर्ती नियमों में किया गया हो और जो भर्ती को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को जटिल तथा दीर्घकालीन बनाते हैं, को हटाने में सहायक है ।

3. **<u>आयोग द्वारा उठाए गए कदम :</u>**

आयोग ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले पदों के लिए भर्ती नियमों की नियमित समीक्षा की आवश्यकता पर जोर देने के मुद्दे के संबंध में अनेक कदम उठाएं हैं, उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं ।

(i) विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के सचिवों से संपर्क करके मामले के महत्व पर जोर देना।

(ii) भारत सरकार में मंत्रालयों द्वारा नामांकित अधिकारियों के लिए आयोग में बड़े स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन करना ।

(iii) भर्ती नियमों के बारे में सम्पूर्ण प्रस्ताव तैयार करने संबंधी विभिन्न पहलुओं पर प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ साझा करना ।

(iv) एकल खिड़की प्रणाली, जो आयोग में प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए डैस्क प्रणाली के रूप में कार्य करती है, में प्रयोग होने वाली जांच सूची में संशोधन तथा उसे तर्कपूर्ण बनाना ।

(v) प्राप्त प्रस्तावों के समग्र संसाधन समय में कमी करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली की निगरानी करना । यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि आयोग कार्यालय में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिशा- निर्देशों के अंतर्गत एक प्रस्ताव को संसाधित करने की 'निपटान की सामान्य अवधि' को 30 दिन से घटाकर औसत आधार पर 17 दिन कर दिया गया है ।

(vi) आशुलिपि, राजभाषा अधिकारियों, लेखा अधिकारियों, सूचना प्रणाली अधिकारियों, स्टॉफ कार ड्राईवरों, विभागीय कैंटीन अधिकारियों, मांग सूची प्रबंधन अधिकारियों आदि के संवर्गों के संबंध में एक समान पदों के लिए मॉडल भर्ती नियम बनाने के लिए कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को परामर्श देना ।

(vii) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए भर्ती नियमों के समय पर अधिसूचित किए जाने की निगरानी रखते हुए भर्ती नियमों के संशोधन की समग्र प्रक्रिया की पूर्णता की समीक्षा करना ।

(viii) वर्ष 2011 में एकल खिड़की प्रणाली की शुरूआत के साथ ही भर्ती नियमावली प्रबंधन सूचना प्रणाली का सृजन किया गया जिसमें आयोग द्वारा भर्ती नियमों को अंतिम रूप प्रदान किए जाने से संबंधित इलेक्ट्रानिक सूचना उपलब्ध है ।

4. <u>सरकार में ग्रुप क एवं ग्रुप ख पदों के लिए प्रोजेक्ट डेटाबेस</u>

आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में वर्ष 2015-16 के दौरान यह विचार किया गया कि सभी संस्वीकृत पदों को संचालित करने वाली भर्ती नियमावली की केन्द्रीकृत निगरानी के उद्देश्य से भारत सरकार में सभी स्वीकृत पदों के लिए विस्तृत डेटाबेस सृजित किया जाए । इस संबंध में निम्नलिखित कार्य योजना तैयार की गई तथा उसे लागू किया गया ।

I. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों से उनके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले पदों से संबंधित जानकारी को साझा करने का अनुरोध किया गया ।

II. इस प्रकार प्राप्त सूचना को भर्ती नियम शाखा की आंतरिक टीम के अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रानिक डेटाबेस में एकत्र किया गया । इस प्रकार निम्नलिखित बिंदुओं को भरा गया :-

क. मंत्रालय / विभाग का नाम
ख. पद का पदनाम
ग. वेतनमान
घ. ग्रेड वेतन
ङ. स्वीकृत पदों की संख्या
च. उल्लिखित पद के लिए भर्ती नियम की अधिसूचना की संदर्भ संख्या तथा तारीख
छ. यदि उल्लिखित पद के लिए भर्ती नियम नहीं बनाए गए हैं तो भर्ती नियम बनाने के प्रस्ताव को सूत्रबद्ध करने से संबंधित स्थिति को दर्शाया जाए ।

III. सूचनाओं के संकलन तथा उनके विधिवत विश्लेषण संबंधी कार्य भर्ती शाखा के अधिकारियों की टीम द्वारा बिना किसी बाह्य सहायता के वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान चार माह की अवधि के भीतर पूरा किया गया ।

IV. समग्र डेटाबेस में लगभग 30,000 क्षेत्रों की प्रविष्टियों को शामिल किया गया है जिन्हें तत्काल संदर्भ के लिए ई-दस्तावेज में एकत्र किया गया है । एक समेकित मंत्रालय वार सूची अनुबंध-I में संलग्न है ।

5. <u>डेटाबेस का सामान्य विश्लेषण</u>

i. इस प्रकार सृजित किए गए डेटाबेस में भारत सरकार में गुप क एवं ख के वर्गीकृत संवर्ग में लगभग तीन लाख पदों से संबंधित सूचना शामिल की गई है ।

ii. समग्र आधार पर, भारत सरकार में कुल पदों का लगभग 9% पद ग्रुप "क" तथा ग्रुप "ख" में वर्गीकृत किया गया है जबकि शेष 91% पद ग्रुप "ग" के अंतर्गत आते हैं (जिनके बारे में भर्ती नियमों को बनाने तथा उनमें संशोधन करने के लिए आयोग से परामर्श लेना अनिवार्य नहीं है) ।

iii. निम्नलिखित पदों पर भर्ती के उद्देश्य के लिए आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है ।

क. भारत सरकार में सभी भर्ती पद्धतियों के माध्यम से भरे जाने वाले सभी ग्रुप "क" पद (इस विषय को संचालित करने वाले दिशा निर्देशों के साथ पढ़ा जाए) ।

ख. भारत सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले 4600/- रू. तथा अधिक ग्रेड वेतन वाले सभी ग्रुप "ख" पद ।

ग. भर्ती के सभी माध्यमों द्वारा ग्रेड वेतन 4800/- रू. या उससे ऊपर के ग्रेड वेतन वाले भारत सरकार के सभी ग्रुप "ख" पद (विषय को संचालित करने वाले दिशा निर्देशों के साथ पढ़ा जाए) ।

iv. वर्ष 2010 से लगभग 1.88 लाख पदों के लिए भर्ती नियमों को संशोधित किया जा चुका है (अर्थात सभी ग्रुप "क" तथा ग्रुप "ख" पदों का 64%) जबकि लगभग कुल 1.05 लाख पदों के लिए भर्ती नियमों की निर्धारित समय सीमा में (विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं पर आधारित) समीक्षा की जानी है ।

6. <u>डेटाबेस का विभाग-वार विश्लेषण</u>

i. इस विश्लेषण से यह पता चलता है कि भारत सरकार में अधिकांश संख्या में पदों का नियंत्रण वित्त, मानव संसाधन विकास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, शहरी विकास, रेल, गृह, रक्षा, श्रम एवं रोजगार, संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (मंत्रालयों) द्वारा किया जाता है ।

ii. वित्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृषि एवं सहकारिता, कारपोरेट कार्य, पेय जल एवं स्वच्छता तथा श्रम एवं रोजगार जैसे मंत्रालय (मंत्रालयों) ने अपने प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले अधिकांश पदों की समीक्षा की है और तदनुसार दिए गए पदों के लिए भर्ती नियमों को भी संशोधित किया है ।

iii. तथापि, नागर विमानन, कोयला तथा खान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, विधिक मामले, इस्पात, रेल, फर्टिलाइजर तथा केमिकल, कपड़ा, पर्यटन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, वाणिज्य एवं उद्योग, गृह, रक्षा आदि जैसे मंत्रालय (मंत्रालयों) ने अपने प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए भर्ती नियमों की समीक्षा का प्रस्ताव लाने में उस तरह की प्रगति नहीं की है ।

7. <u>ई-दस्तावेज से लाभ</u>

i. किसी भी मंत्रालय / विभाग में विभिन्न पदों से संबंधित तत्काल संदर्भ और दिए गए पदों के लिए बनाए गए भर्ती नियमों के पुराने विवरण की उपलब्धता ।

ii. यह उन मंत्रालयों / विभागों पर निगरानी रखने में सहायता करेगा जिन्होंने अपने प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियमों की समीक्षा के लिए अब तक कोई पहल नहीं की है ।

iii. यह एकसमान प्रकृति के पदों (अर्थात विभिन्न मंत्रालयों में लेखा अधिकारी (अधिकारियों) के पद के संवर्ग के साथ साथ वेतन संरचना) के तुलनात्मक मूल्यांकन में मदद करेगा । इससे ऐसे पदों के लिए परामर्श के मानकीकरण और टेम्पलेट सृजन में सहायता मिलेगी ।

iv. यह ऐसे पदों जिन्हें हाल ही में स्वीकृत किया गया है लेकिन उनके भर्ती नियमों को आयोग के साथ परामर्श करके अंतिम रूप नहीं दिया गया है, के भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने में उनकी प्रगति पर निगरानी रखने में सहायक होगा ।

उपर्युक्त विश्लेषण सहित ई-दस्तावेज माननीय आयोग के विचारार्थ संदर्भ दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत है ।

संलग्नक : मंत्रालयों की समेकित सूची

(संजय वर्मा)
संयुक्त सचिव (भर्ती नियम)
01.06.2016

संघ लोक सेवा आयोग **अनुबंध- I**

मंत्रालयों / विभागों की सूची

क्रम सं.	मंत्रालय / विभाग	पदों की संख्या					2010 से संशोधित पदों की आयु का प्रतिशत	प्रस्तावों में वर्गीकृत कुल पदों की सं.
		समूह 'क'	समूह 'ख'	कुल	2010 से संशोधित किया गया	2010 से संशोधित नहीं किया गया		
1.	कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण	397	1,259	1,656	1,512	144	91 %	213
2.	अंडमान तथा निकोबार प्रशासन	222	224	446	280	166	63%	60
3.	पशुपालन, डेयरी तथा मात्स्यिकी	224	264	488	195	293	40%	118
4.	आयुष	223	9	232	3	229	1%	28
5.	चंडीगढ़ प्रशासन	1,017	557	1,574	606	968	39%	338
6.	रसायन तथा पेट्रो-रसायन	6	0	6	0	6	0%	5
7.	नागर विमानन	285	60	345	0	345	0%	62
8.	कोयला	21	0	21	0	21	0%	9
9.	वाणिज्य तथा उद्योग	623	421	1,044	592	452	57%	33
10.	वाणिज्य तथा उद्योग-औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	41	10	51	15	36	29%	16
11.	संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी-डाक	515	937	1452	492	960	34%	16
12.	संचार तथा सूचना प्रोद्योगिकी-दूरसंचार	4,781	2	4,783	137	4,646	3%	26
13.	उपभोक्ता मामले	293	287	580	266	314	46%	100

भर्ती नियम शाखा: भारत सरकार में समूह 'क' और समूह 'ख' पदों के डाटाबेस ।

संघ लोक सेवा आयोग

14.	कॉरपोरेट कार्य	349	489	838	736	102	88 %	43
15.	संस्कृति	39	138	177	6	171	3 %	84
16.	दमन तथा दीव प्रशासन	160	620	780	668	112	86 %	83
17.	रक्षा	9,255	472	9,727	3,222	6,505	33 %	38
18.	रक्षा- रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन	323	1,893	2,216	1,995	221	90 %	30
19.	दिल्ली जल बोर्ड	327	2,226	2,553	442	2,111	17%	63
20.	पेयजल तथा स्वच्छता	8	0	8	7	1	88%	3
21.	पृथ्वी विज्ञान	549	1,587	2,136	128	2,008	6%	23
22.	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन	3,460	0	3,460	3,460	0	100%	13
23.	विदेश	1,397	2,305	3,702	35	3,667	1%	32
24.	उर्वरक	7	6	13	1	12	8%	10
25.	वित्त- आर्थिक मामले	525	42	567	535	32	94%	29
26.	वित्त- व्यय	384	13436	13,820	176	13,644	1%	22
27.	वित्त–व्यय (नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक)	874	0	874	0	874	0%	9
28.	वित्त- राजस्व	8,333	71,414	79,747	76,921	2,826	96%	54
29.	खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण	94	87	181	116	65	64%	47
30.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	9	5	14	0	14	0%	8
31.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	4,858	125	4,983	4,773	210	96%	90

भर्ती नियम शाखा: भारत सरकार में समूह 'क' और समूह 'ख' पदों के डाटाबेस ।

संघ लोक सेवा आयोग

32.	गृह मंत्रालय	5,103	2,515	7,618	2,494	5,124	33%	97
33.	गृह मंत्रालय- राजभाषा	209	180	389	388	1	100%	19
34.	मानव संसाधन विकास–उच्चतर शिक्षा	1,747	37,226	38,973	38,874	99	100%	30
35.	मानव संसाधन विकास–विद्यालयी शिक्षा	53	11	64	24	40	38%	55
36.	सूचना तथा प्रसारण	3,025	565	3,590	2,073	1,517	58%	34
37.	श्रम तथा रोजगार	349	40	389	340	49	87%	11
38.	श्रम तथा रोजगार-कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	1,125	6,379	7,504	2,586	4,918	34%	47
39.	श्रम तथा रोजगार-कर्मचारी राज्य बीमा निगम	781	640	1421	1295	126	91%	27
40.	संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप	43	31	74	5	69	7%	34
41.	विधिक मामले	170	20	190	0	190	0%	8
42.	विधायी मामले	40	84	124	105	19	85%	34
43.	दिल्ली नगर निगम-पूर्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	शून्य	0
44.	दिल्ली नगर निगम-उत्तर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	शून्य	0
45.	दिल्ली नगर निगम-दक्षिण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	शून्य	0
46.	खान	163	141	304	0	304	0%	37
47.	अल्पसंख्यक मामले	5	10	15	5	10	33%	7
48.	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय	300	3	303	2	301	1%	48
49.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	2,502	36,831	39,333	5,872	33,461	15%	50

भर्ती नियम शाखा: भारत सरकार में समूह 'क' और समूह 'ख' पदों के डाटाबेस ।

संघ लोक सेवा आयोग

50.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	0	1	1	1	0	100%	1
51.	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	249	237	486	1	485	0%	83
52.	नीति आयोग	88	32	120	66	54	55%	10
53.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	21	12	33	2	31	6%	24
54.	संसदीय कार्य	17	60	77	0	77	0%	13
55.	कार्मिक तथा लोक शिकायत– कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग	9,424	14,138	23,562	23,555	7	100%	19
56.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	0	3	3	0	3	0%	3
57.	संघ शासित क्षेत्र पुदुच्चेरी	78	1393	1471	1261	210	86%	6
58.	विद्युत	432	218	650	541	109	83%	8
59.	रेल	8,105	2,080	10,185	301	9,884	3%	62
60.	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	228	117	345	86	259	25%	22
61.	ग्रामीण विकास	2	37	39	30	9	77%	7
62.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	169	101	270	142	128	53%	33
63.	जहाजरानी	236	162	398	143	255	36%	70
64.	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता	10	10	20	0	20	0%	13
65.	खेल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	शून्य	0
66.	सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन	814	3,943	4,757	4,757	0	100%	9
67.	इस्पात	10	0	10	0	10	0%	5

भर्ती नियम शाखा: भारत सरकार में समूह 'क' और समूह 'ख' पदों के डाटाबेस ।

68.	वस्त्र	100	227	327	16	311	5%	64
69.	पर्यटन	39	202	241	37	204	15%	20
70.	जनजातीय मामले	7	1	8	0	8	0%	4
71.	शहरी विकास	2,654	7,965	10,619	5,752	4,867	54%	83
72.	जल संसाधन	408	919	1,327	252	1,075	19%	50
73.	महिला तथा बाल विकास	27	109	136	0	136	0%	10
74.	युवा मामले	18	64	82	0	82	0%	4
	कुल	78,350	215,582	293,932	188,325	105,607	64%	2,866
	% आयु विश्लेषण	27%	73%	100%	64%	36%		

नोट: संबंधित विभागों द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक मुहैया कराई गई सूचना के आधार पर उक्त विश्लेषण किया गया हैं ।